CPCB
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT OF INDIA

सं.सी-14011013/हि.सला.समि./20-22/ 202   दिनांक: 15.09.2023

परिपत्र

विषयः माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2023 को आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त की मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है कि माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2023 को मंत्रालय की "हिंदी सलाहकार समिति" की बैठक हुई थी, जिसके कार्यवृत्त पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित मदों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा प्रभाग ने दिनांक 24.08.2023 को परिपत्र जारी किया था।

इस संदर्भ में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से उक्त कार्यवृत्त की मद सं. 04(05.1.2) और मद सं. 5(5.2.2) पर दो माननीय गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव/निदेश दिए गए हैं:

1. **माननीय डॉ मनोज राजोरिया, गैर सरकारी सदस्य:**

   क. "यह हमारा संवैधानिक दायित्व ही नहीं नैतिक कर्तव्य भी है कि हम हिंदी भाषा को आगे बढाएं।"

   ख. सभी संस्थाओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान किसी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर राजभाषा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संसदीय समिति को उन अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को सिफारिश करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

2. **माननीय श्रीमती गोमती राय, गैर सरकारी सदस्य:**

   "पूरे देश में हिंदी बोलचाल में प्रयोग की जाती है, इसलिए हमेशा अपनी-बोल-चाल और दैनिक काम काज में हिंदी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।"

अतएव, मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय निदेशालयों और परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाता है कि वे मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए उक्त सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(संघ मित्र)
प्रशासनिक अधिकारी एवं
प्रभारी, राजभाषा प्रभाग

वितरण:

1. सभी प्रभाग प्रभारी
2. क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी परियोजना कार्यालय
3. अध्यक्ष केंद्रीय बोर्ड के निजी सचिव - सादर सूचनार्थ
4. सदस्य सचिव के निजी सचिव - सादर सूचनार्थ
5. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सूचना पट्ट